

**मांग संख्या 24**  
**मुख्य शीर्ष 5054**

**मद क्रमांक 1**

रायपुर शहर में एन.एच.-6 से माना हवाई तल मार्ग के निर्माण में भूमि अधिग्रहण पर राशि ` 1500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

बिलासपुर से मुंगेली मार्ग कि.मी. 50-51 (लंबाई 1800 मी.) के निर्माण कार्य (अनुमानित लागत राशि रूपये ` 332.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 66.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

केन्द्रीय सड़क निधि से निम्नलिखित सड़क निर्माण कार्यों को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल किया गया है -:

1. मनेन्द्रगढ़-केन्दाई (चोटिया)-बरदर (खड़गांव)-बैकुण्ठपुर-सोनहत मार्ग के कि.मी. 56.70 से लंबाई 14.00 (एस.एच.-15) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 1803.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. चांपा-सक्ती (व्हाया सिवनी उमरेली जर्वे) मार्ग (एम.डी.आर.) लंबाई 26.00 कि.मी.के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 2439.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. जिला जशपुर के कांसाबेल से सराईपानी मार्ग (एम.डी.आर.) लंबाई 22.00 कि.मी.के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 2428.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. जिला महासमुन्द के बसना-भंवरपुर-सागरपाली मार्ग (एम.डी.आर.) कि.मी. 1/2 से 18/6 तक 17.60 कि.मी.के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 1703.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
5. मनेन्द्रगढ़-केन्दाई(चोटिया)-बरदर(खड़गांव)-बैकुण्ठपुर-सोनहत मार्ग के कि.मी. 70 से 82/6 लंबाई 12.60 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 1623.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
6. जिला जशपुर के सराईपानी बगीचा मार्ग (एम.डी.आर.) लंबाई 21.80 कि.मी.के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 2418.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।
7. जिला बिलासपुर के सीपत-बालोदा-कोरबा मार्ग (एम.डी.आर.) लंबाई 15.00 कि.मी.के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (अनुमानित लागत राशि ` 2486.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य में एन्यूटी अंतर्गत सड़क निर्माण के डी.पी.आर. कार्य की लागत के भुगतान पर ` 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

माननीय उच्च न्यायालय एवं सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में भू-अर्जन मुआवजा भुगतान पर राशि ` 106.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 1,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।